कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248001

Mail ID :**ukmssbdun@gmail.com**; Website : **www.ukmssb.org** **Phone: 01352665366**

पत्र संख्याः उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 04 / 2025–26 / 623 दिनांकः 29 जुलाई, 2026

–: डेन्टल हाईजिनिस्ट परीक्षा– 2025:–

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत डेन्टल हाईजिनिस्ट के रिक्त 30 पदों (बैकलॉग सहित) पर चयन हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों में से अंतिम रुप से अनर्ह अभ्यर्थी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या– उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 04 / 2025–26 / 802, **दिनांकः 19 नवम्बर, 2025** के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड में समूह 'ग' के अंतर्गत डेण्टल हाईजिनिस्ट के रिक्त 30 पदों (बैकलॉग सहित) पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसके क्रम में डेण्टल हाईजिनिस्ट के रिक्त 30 पदों (बैकलॉग सहित) पर सीधी भर्ती हेतु **दिनांक 29 मार्च, 2026 (रविवार) समय प्रातः 10.00 से अपरान्ह 12.00 बजे** तक लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। चयन बोर्ड कार्यालय के पत्र संख्या– उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 04 / 2025–26 / 397, **दिनांक 15 मई 2026 द्वारा** लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंको का विवरण जारी किया गया तथा चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय के पत्र संख्या– उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 04 / 2025–26 / 428, दिनांक– **01 जून, 2026** द्वारा अभिलेख सत्यापन हेतु विज्ञापन में पदों की संख्या के अनुसार प्रवीणता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी।

02– जारी विज्ञापन में पदों की संख्याा के अनुसार प्रवीणता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों (श्रेणीवार डेढ़ गुना अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए) को अभिलेख सत्यापन हेतु दिनांक 16 जून 2026 को चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय में आमंत्रित किया गया। अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित किये गये अभ्यर्थियों में से कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा फार्मासिस्ट (एलोपैथिक) पद हेतु वांछित अर्हता धारित न करने एवं वांछित अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण तथा अभिलेख सत्यापन में बिना कोई सूचना दिये अनुपस्थित रहने के कारण अंतिम रुप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची पत्र संख्या उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 04 / 2025–26 / 530, दिनांक 01 जुलाई 2026 द्वारा जारी की गई, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी अनर्हता / अभ्युक्ति / अनुपस्थिति के सापेक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 02 जुलाई 2026 से 05 जुलाई 2026 सांय 05.00 बजे तक का समय दिया गया था।

03– उक्त के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा लिये गये अंतिम निर्णय निम्नानुसार है–

क्रम संख्या	अनुक्रमांक	अभ्युक्ति	प्रत्यावेदन पर निर्णय (यदि प्रस्तुत किया गया है)
1	**4620231095**	**अनर्ह–** अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित वांछित शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करते हैं। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 5 में उल्लिखित है कि – अभ्यर्थी के पास भारतीय दन्त परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डेन्टल हाईजिनिस्ट में डिप्लोमा हो'' **चूंकि अभ्यर्थी डेन्टल हाईजिनिस्ट डिप्लोमाधारक नहीं है अतः अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित किया जाता है।**	**अनर्ह–** अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के साथ बैचलर ऑफ साइन्स डेटल हाइजीन की उपाधि प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। डेण्टल हाईजिनिस्ट पद हेतु प्रख्यापित सेवा नियमावली में उल्लिखित है कि अभ्यर्थी के पास सार्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा इन डेण्टल हाईजिनिस्ट शैक्षिक अर्हता रखता हो। चूंकि अभ्यर्थी प्रख्यापित नियमावली और सम्बन्धित पद हेतु जारी विज्ञापन में उल्लिखित वांछित शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करते हैं। **अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखते हुए प्रश्नगत पद हेतु अंतिम रुप से अनर्ह घोषित किया जाता है।**

2	**4620231085**	**अनर्ह–** अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित वांछित शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करते हैं। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 5 में उल्लिखित है कि – अभ्यर्थी के पास भारतीय दन्त परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डेन्टल हाईजिनिस्ट में डिप्लोमा हो'' **चूंकि अभ्यर्थी डेन्टल हाईजिनिस्ट डिप्लोमाधारक नहीं है अतः अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित किया जाता है।**	**अनर्ह–** अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में जारी अनर्हता सम्बन्धी कारणों के सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। **अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखते हुए प्रश्नगत पद हेतु अंतिम रुप से अनर्ह घोषित किया जाता है।**
3	**4620231036**	**अनर्ह–** अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित वांछित शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करते हैं। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 5 में उल्लिखित है कि – अभ्यर्थी के पास भारतीय दन्त परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डेन्टल हाईजिनिस्ट में डिप्लोमा हो'' **चूंकि अभ्यर्थी डेन्टल हाईजिनिस्ट डिप्लोमाधारक नहीं है अतः अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित किया जाता है।**	**अनर्ह–** अभ्यर्थी बी0डी0एस0 अर्थात बैचलर इन डेण्टल सर्जन शैक्षिक अर्हता धारित है। डेण्टल हाईजिनिस्ट पद हेतु प्रख्यापित सेवा नियमावली में उल्लिखित है कि अभ्यर्थी के पास सार्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा इन डेण्टल हाईजिनिस्ट शैक्षिक अर्हता रखता हो। चूंकि अभ्यर्थी प्रख्यापित नियमावली और सम्बन्धित पद हेतु जारी विज्ञापन में उल्लिखित वांछित शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करते हैं। **अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखते हुए प्रश्नगत पद हेतु अंतिम रुप से अनर्ह घोषित किया जाता है।**

ह0/–
(प्रदीप जोशी)
सचिव,
उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।